न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा RAS

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः– 27/2023 (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के–1499)

राजस्थान सरकार जरिये कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर

–प्रार्थी

बनाम

1. विकास मिढ्ढा पुत्र श्री सत्यप्रकाश मिढ्ढा (विक्रेता) मैसर्स ए टू जेड़ डिपार्टमेंटरल स्टोर, वार्ड नं. 16, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़।
2. पुष्पा देवी पत्नी सत्यप्रकाश मिढ्ढा (मालिक) मैसर्स ए टू जेड़ डिपार्टमेंटरल स्टोर, वार्ड नं. 16, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़।
3. सुभाष सेतिया पुत्र सरदारी लाल, प्रोपराइटर(थोक–विक्रेता) मैसर्स पारस हॉलसेल भण्डार, सोनी मार्किट के पास शॉप नं. 04 सूरतगढ़।
4. कैलाश चन्द्र अग्रवाल(भागीदार व नोमिनी) मैसर्स श्री भगवती उधोग नजदीक पुलिस स्टेशन, बिसाउ जिला झूंझूनू(निर्माता)।
5. मैसर्स श्री भगवती उधोग नजदीक पुलिस स्टेशन, बिसाउ जिला झूंझूनू(निर्माता)।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(।।), 51 FSSA Act 2006

निर्णय

दिनांकः– 19/12/2024

यह इस्तगासा **श्री कंवरपाल सिंह** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(।।) व **धारा 51**, के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है:– यह है कि परिवादी तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी **लक्ष्मीकांत गुप्ता** दिनांक 20.04.2022 को समय दोपहर **01:00 बजे** पर निरीक्षणार्थ मैसर्स– **ए टू जेड़ डिपार्टमेंटरल स्टोर, वार्ड नं. 16, अनूपगढ़, जिला अनूपगढ़** पर निरीक्षण हेतु पहंचे व निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर **विकास मिढ्ढा पुत्र सत्यप्रकाश मिढ्ढा(विक्रेता) को** अपना परिचय देकर दुकान पर रखे 500–500 ग्राम के 24 थैली **बेसन(बिसाऊवाला श्री ब्राण्ड)**, के बारे में जानकारी चाही। अप्रार्थी **विकास मिढ्ढा पुत्र सत्यप्रकाश मिढ्ढा** ने स्वयं को दुकान का विक्रेता बताया तथा संस्थान में रखे **बेसन(बिसाऊवाला श्री ब्राण्ड)** को आमजन में बेचान वास्ते बताया।

आवेदक तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **बेसन(बिसाऊवाला श्री ब्राण्ड)** मे से 500–500 ग्राम की 04 मूल पॉली पैक को विक्रेता से तय कीमत पर खरीद कर लिया। विकेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **बेसन(बिसाऊवाला श्री ब्राण्ड)** का नगद भुगतान **200/–** रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है व तत्कालीन खाद्य सुरक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर है।

आवेदक तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **विकास मिढ्ढा (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता **विकास मिढ्ढा पुत्र सत्यनारायण मिढ्ढा (विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **बेसन(बिसाऊवाला श्री ब्राण्ड)** 500–500 ग्राम की चारों मूल पॉली पैक पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड़ एवं क्रमांक **के–1499** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक एवं गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप **नं के–1499** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमुना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते मे लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **विक्रेता विकास मिढ्ढा** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं0 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमुना सील लगाई जिससे नमुना सील किया। एक नमुना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बंद नमुना भाग मय फॉर्म नं0 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक **FSSA/2022/386-87** दिनांक 09.05.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थय प्रयोगशाला बीकानेर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/618/एक्ट/2022/618 दिनां 28.04.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ बेसन(बिसाऊवाला श्री ब्राण्ड)) का नमूना **Sub-standard Food** होना पाया गया।

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक एफएसएएसए/2022/386-87 दिनांक 09.05.2022 जांच रिपोर्ट मय अग्रेषित पत्र पर खाद्यकारोबारकर्ता ने मैसर्स श्री भगवती उद्योग नजदीक पुलिस स्टेशन, बिसाउ जिला झुंझूनू(निर्माता) का बिल प्रस्तुत किया गया।

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्राक एफएसएसए/2023/1470 दिनांक 13.10.2023 द्वारा खाद्यकारोबारकर्ता मैसर्स श्री भगवती उद्योग नजदीक पुलिस स्टेशन बिसाउ जिला झूंझूनू(निर्माता) व पत्राक एफएसएसए/2023/1485 दिनांक 16.10.2023 अभिहीत अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झूंझूनू को उक्त फर्म के दस्तावेज भिजवाये गये।

श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक सामान्य/2023/17694-695 दिनांक 18.08.2023 द्वारा अवधि पार खाद्य पदार्थ के नमूनो के प्रकरणो की अभियोजन समय सीमा बढाने एवं मान्य न्यायालय में केस लगाने के स्वीकृति प्रदान हेतु आवेदित किया गया। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के पत्रांक आयुक्ता/खा.सु.ओ.नि./स.सी./2023/3048 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवरपाल सिंह को उक्त प्रकरण को संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवरपाल सिंह ने श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को दिनांक 19.10.2023 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया गया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे अभियोजन स्वीकृति पत्र **क्रमांक 1515-16 दिनांक 23.10.2023** संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। अप्रार्थीगण द्वारा **बेसन(बिसाऊवाला श्री ब्राण्ड) Sub-standard** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **51 में निर्धारित है।**

श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता/मालिक को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जायें ताकि जनहित में अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय रोका जा सके।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी स. 1 ता 03 की ओर से अधिवक्ता श्री तिलकराज चुघ व अप्रार्थी सं. 04 ता 05 की ओर से अधिवक्ता शैलेन्द्र कामरा उपस्थित आये व अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी सं. 01 ता 03 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाव मे कथन किया गया है कि बिन्दु संख्या 01 के कथन को सिद्ध करने का भार परिवादी पर है। बिन्दु संख्या 02 अस्वीकार है. 24 थैलियों का विवरण दर्ज किया है उस सम्बन्ध में निवेदन है कि 24 थैली विक्रय के लिए नहीं थे बल्कि दुकान के अन्दर एक्सपाईरी तारीख के माल का अलग खाखा बना हुआ है उसी में अलग से रखे हुए थे विक्रय के लिए नहीं थे। बिन्दु संख्या 3 जिस प्रकार से दर्ज है अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 04 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 05 अस्वीकार है। बिन्दु स. 06 जिस प्रकार से अंकित किया गया है उसको सिद्ध करने का भार परिवादी का है। बिन्दु संख्या 07 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 8 के सम्बन्ध में मुझ अप्रार्थी को जानकारी नहीं है। बिन्दु सं. 09 परिवादी से सम्बन्धित है। बिन्दु सं. 10 को सिद्ध करने का भार परिवादी का है। बिन्दु सं. 11 समय अवधि के तथ्य अस्वीकार है। बिन्दु सं. 12 से 14 तक अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 04 व 05 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाव में कथन किया गया है कि बिन्दु संख्या 01 रिकॉर्ड का तथ्य है। बिन्दु संख्या 02 परिवादी की ओर से साबित किया जाना आवश्यक है। बिन्दु संख्या 3 में परिवादी द्वारा साक्ष्य से साबित किया जाना आवश्यक है। बिन्दु संख्या 04 जिस प्रकार से अंकित है, अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 05 अस्वीकार है। बिन्दु सं. 06 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 07 में की गई समस्त कार्यवाही का तथ्य साक्ष्य से साबित का भार परिवादी पर है। बिन्दु संख्या 8 कानूनी विषयान्तर्गत आती है। वण्तिार्त मंद निराधार है। बिन्दु सं. 09 अस्वीकार है। बिन्दु सं. 10 कानूनी विधयान्तर्गत होने के कारण परिवादी द्वा साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर साबित की जानी है। बिन्दु स. 11 अस्वीकार है। बिन्दु सं. 12 दस्तावेजी आधारित मद अस्वीकार है। बिन्दु सं. 13 में प्रार्थी का नाम पता स्वीकान है अन्य तथ्य अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 04 ता 05 अधिवक्ता द्वारा अतिरिक्त कथन में कहा है कि अप्रार्थीगण फर्म मैसर्स भगवती उद्योग, बिसाउ जिला झूंझूनू में कार्यरत हो जो कि राजस्थान फुड सेफ्टी डिपार्टमैन्ट द्वारा लाईसेंस शुदा है तथा खाद्य पदार्थ बेसन(बिसाउवाला श्री ब्राण्ड) की निर्माता है तथा खाद्य पदार्थ को समस्त उच्च मापदण्डों के अनुरूप तैयार कर व नियमानुसार पोली थैली में पैक कर विक्रेता डीलर को विक्रय किया जाता है। पॉली पैक पर खाद्य पदार्थ के समस्त मापदण्डों, निर्माण की तारीख व वैधता अवधि की तारीख के बारे में स्पष्ट अंकित किया जाता है। अवैध अवधि के सम्बन्ध में तथ्य अंकित किये जाते है तो उस पर निर्माण की तारीख व वैधता अवधि की तारीख के बारे में स्पष्ट अंकित किया जाता है अवैध अवधि की तारीख के उपरांत उक्त खाद्य पदार्थ एक्सपायर हो जाता है जिस सम्बन्ध में विक्रेता डीलर को यह

Scanned with OKEN Scanner

हिदायत कम्पनी की ओर से दी जाती है कि वे एक्सपायर माल का विक्रय ना करे यथासंभव कम्पनी में वापिस लौटाए अथवा उस माल को नष्ट कर दें। अगर इसके बावजूद भी कोई विक्रेता डीलर उक्त अवधि बाधित माल को विक्रय करता है तो उसके लिए निर्माता कम्पनी जिम्मेवार नहीं होगी। इस प्रकरण में हम अप्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 03 को जरिये बिल संख्या 6292 दिनांक 15.02.2022 के जरिये 6 कवींटल खाद्य पदार्थ भिजवाया गया था और उपरोक्त अप्रार्थी सं. 03 से अप्रार्थी सं. 01 व 02 को बेचान किया गया था। अतः जबाव परिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि परिवादी का परिवाद पत्र की कार्यवाही निरस्त फरमावी जावे।

अप्रार्थी सं. 04 ता 05 के अधिवक्ता उपस्थित नहीं। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अप्रार्थी सं. 01 ता 03 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी सं. 01 ता 03 के अधिवक्ता द्वारा बहस में जबाव के बिन्दुओं को दोहराया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यो व अप्रार्थी स. 01 व 02 द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ बेसन(बिसाऊवाला श्री ब्राण्ड) के नमूना जांच की खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक **L.S.618/Act/2022/618 दिनांक 28.04.2022** में खाद्य पदार्थ **बेसन(बिसाऊवाला श्री ब्राण्ड)** एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 51 का उल्लंघन करते हुए नमुना **के–1499 Sub-Standard Food** पाया गया है।

अप्रार्थी सं. 04 व 05 द्वारा अपने जबाव में यह स्वीकार किया गया है कि वे खाद्य पदार्थ बेसन(बिसाउवाला श्री ब्राण्ड) के निर्माता है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नही करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी सं 04 व 05 द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ का विनिर्माण किया गया है। अप्रार्थी सं. 04 व 05 द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ का विनिर्माण कर, थोक विक्रेता एवं रिटेलर के माध्यम से उपभोक्ता तक उपलब्ध करवाया गया है। उपभोक्ता को **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ मिला है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि निर्माता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के सम्बन्ध में जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी सं. 04 व 05 द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ का विनिर्माण व आगे विक्रय कर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी सं. 04 व 05 द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(II), 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(II), 51** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी सं. 04 व 05 द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ का विनिर्माण किये जाने हेतु **मैसर्स श्री भगवती उधोग नजदीक पुलिस स्टेशन, बिसाउ जिला झुंझूनू(निर्माता) को रूपये...3,00000.../– आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।**

अप्रार्थी सं. 04 व 05 द्वारा अपने जबाव में यह कथन किया गया है कि उनके द्वारा जरिये बिल संख्या 6292 दिनांक 15.02.2022 अप्रार्थी सं. 3 को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किया गया है। अप्रार्थी सं. 03 द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ का भण्डारण व विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(II), 51 का उल्लंघन किया है। एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(II), 51** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी सं. 03 द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ का भण्डारण व आगे विक्रय किये जाने हेतु **मैसर्स पारस हॉलसेल भण्डार, सोनी मार्किट के पास शॉप नं. 04 सूरतगढ़ को रूपये...1,00000.../– आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है**

अप्रार्थी सं. 01 व 02 द्वारा द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ का भण्डारण व विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(II), 51 का उल्लंघन किया है। एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(II), 51** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी सं. 01 व 02 द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ का भण्डारण व विक्रय किये जाने हेतु **मैसर्स ए टू जेड़ डिपार्टमेंटरल स्टोर, वार्ड नं. 16, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ को रूपये ...25,000.../– आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा** खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उक्त खाद्य पदार्थ को अंतिम तिथि समाप्त होना पाया गया है। अतः अप्रार्थी सं. 01 व 02 अंतिम तिथि निकलने के बाद भी उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 का उल्लंघन किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ असुरक्षित खाद्य पदार्थ की श्रेणी में है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः उक्त कृत्य हेतु **मैसर्स ए टू जेड़ डिपार्टमेंटरल स्टोर, वार्ड नं. 16, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ को रू 50,000 /–** रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक...19.12.24.....को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(अशोक सांगवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़